फर्द अहकाम
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री ज्योत्सना वगैरह | **विपक्षी : राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 09/25**
जीसीएमएस : 2025/68

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 28.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं राजपैरोकार की बहस पूर्व पेशी पर सुनी गई। तहसीलदार मावली द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आसोलियों की मादड़ी पटवार हल्का बोयणा में प्रार्थीया ज्योत्सना कुंवर पुत्री गमेर सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र गमेर सिंह वगैरह निवासी आसोलियों की मादड़ी द्वारा राजस्व ग्राम आसोलियों की मादड़ी में आराजी नम्बर 1187/784 रकबा 6 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 983 सहमति विभाजन से बंटवाड़ा होकर नवीन बट्टा नम्बर 1187/784, 1187/784/1, 1187/784/2, 1187/784/3, 1187/784/4, 1187/784/5, 1187/784/6 किता 7 बने एवं नामान्तरकरण संख्या 1014 समर्पण से आराजी संख्या (नवीन बट्टा नम्बर) 1187/784/7, 1187/784/8 बने हैं। उक्त वर्णित आराजी या की वक्त सेग्रीगेशन सेवहन से नामान्तरकरण संख्या 983 एवं नामान्तरकरण संख्या 1014 पर चस्पा नक्शा ट्रेस में दर्ज तरमीम अनुसार तरमीम न होकर ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम दर्ज हुई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ग्राम आसोलियो की मादड़ी पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली की आराजी नम्बर 1187/784 रकबा 6 बीघा का बंटवाड़ा हुआ। जिसका नामान्तरकरण पारित कर पृथक पृथक दर्ज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा भूमि का समर्पण किया गया। जिसका नामान्तरकरण संख्या 1014 पारित किया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि बंटवाड़ा व समर्पण के नामान्तरकरण के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त भूमि की तरमीम की जानी थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम नही कर अपनी मनमर्जी से तरमीम कर दी गई। अपने मनमुताबिक तरमीम करने का राजस्व कर्मचारियो को कोई अधिकार नही था। राजस्व कर्मचारियो को विभाजपन प्रस्ताव एवं समर्पण आदेश के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करनी चाहिए थी। तहसीलदार मावली द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि तरमीम गलत की गई है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purohit
Date: 2025.07.14 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार मावली द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं समर्पण के नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित नक्शा ट्रेस भी प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में तहसीलदार मावली की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम आसोलियो की मादड़ी पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली के आराजी नम्बर 1373/784, 1372/784, 1376/784, 1378/784, 1374/784, 1431/784, 1377/784, 1371/784, 1375 की तरमीम नामान्तरकरण संख्या 983 एवं 1014 के अनुसार तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायायलय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:44:03 IST
Reason: SelfAttested